ACEM-II सीकर

गुलाबसिंह V/s हरबसिंह

23/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। न्यायालय कक्ष के बाहर-बार आवाज लगाने पर भी अधिवक्ता नहीं। अतः पत्रावली अग्रिम पैरवी अग्रिम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैरालु कुमार होम नम्बर से कक्ष में दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

यह फैसला आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर